मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

राजस्व लोक अदालत /केम्प कोर्टः न्याय आपके द्वार अरनियां

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–43/2018 रे0वाद

अन्तर्गत धाराः–53 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

श्रीमति कनी पत्नि किशनलाल बैरवा निवासी गुढ़ा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

वादीया–––

बनाम

भगवानलाल आत्मज हजारी सालवी निवासी बघेरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण–––

दिनांकः 19.06..2018

वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री एम0एस0 चुण्डावत की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 19.06.2018 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं किः–

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीया कनी पत्नि किशनलाल बैरवा और प्रतिवादी संख्या 1 भगवान लाल आत्मज हजारी सालवी के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. कनी पत्नि किशनलाल बैरवा सा0 गुढ़ा खातेदार

आ0नं0	रकबा	लगान
200/2	0.06	0.24
कुल किता 1	**कुल 0.06 है.**	**0.24**

2. भगवानलाल पिता हजारी सालवी सा0 बघेरा खातेदार

आ0नं0	रकबा	लगान
200/1	0.06	0.24
कुल किता 1	**कुल 0.06 है.**	**0.24**

3. **भगवानलाल पिता हजारी 1/2 सालवी सा. बघेरा कनी पत्नि किशनलाल 1/2 बैरवा सा. गुढ़ा खातेदार**

आ0नं0	रकबा	लगान
200/3	0.02	0.08
कुल किता 1	**कुल 0.02 है.**	**0.08**

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

डिक्री आज दिनांक 19.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्टः न्याय आपके द्वार अरनियां

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–43/2018 रे0वाद

अन्तर्गत धारा:–53 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

श्रीमती कनी पत्नि किशनलाल बैरवा निवासी गुढ़ा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

वादीया––––

बनाम

1. भगवानलाल आत्मज हजारी सालवी निवासी बघेरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण––––

निर्णय

दिनांकः 19.06..2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीयां ने विषयान्तर्गत वाद का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुढ़ाखेड़ा, पटवार हल्का भरक, तहसील सहाडा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 200/1 रकबा 0.14है., कुल किता 1 रकबा 0.14 है0. हैं। जिसमें वादीयां का 1/2 हिस्सा निहित है, तथा शेष प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा निहित है। वादीयां एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने–अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से उसे बिकाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अड़चन आती है इसलिये हिस्से का विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम करवाया जाए। बाद प्रकरण दिनांक 24.03.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किये गये और विचारण वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से दिनांक 19.06.2017 को वाद प्रारम्भिंक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश दिया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर वादीयां एवं वादीयां के अधिवक्ता को सुना गया जिनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है। **अतः**

निरन्तर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

–:आदेश:–

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिकी किया जाता है। वादीया कनी पत्नि किशनलाल बैरवा और प्रतिवादी संख्या 1 भगवान लाल आत्मज हजारी सालवी के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. कनी पत्नि किशनलाल बैरवा सा0 गुढ़ा खातेदार

आ0नं0	रकबा	लगान
200/2	0.06	0.24
कुल किता1	**कुल 0.06है.**	**0.24**

2. भगवानलाल पिता हजारी सालवी सा0 बघेरा खातेदार

आ0नं0	रकबा	लगान
200/1	0.06	0.24
कुल किता1	**कुल 0.06है.**	**0.24**

3. **भगवानलाल पिता हजारी 1/2 सालवी सा. बघेरा कनी पत्नि किशनलाल 1/2 बैरवा सा. गुढ़ा खातेदार**

आ0नं0	रकबा	लगान
200/3	0.02	0.08
कुल किता1	**कुल 0.02है.**	**0.08**

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिकी जारी हो आदेश लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)